प्रेस विज्ञप्ति

मध्यप्रदेश के स्थापना दिवस 01 नवम्बर 2014 से नगर तथा ग्राम निवेश विभाग द्वारा भूमि उपयोग प्रमाण पत्र एवं विकास अनुज्ञा जारी करने के लिए ऑनलाइन व्यवस्था लागू

मध्यप्रदेश शासन के दृष्टि पत्र 2018 के ध्येय को ध्यान में रखते हुए नगर तथा ग्राम निवेश विभाग द्वारा अपनी दो प्रमुख सेवायें यथा भूमि उपयोग प्रमाण पत्र एवं विकास अनुज्ञा देने की व्यवस्था मध्यप्रदेश के स्थापना दिवस 01 नवम्बर 2014 से ऑनलाइन करने की व्यवस्था की गई है।

मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 तथा उसके नियम मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश नियम 2012 तथा मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के प्रावधानानुसार अभी तक भूमि उपयोग प्रमाण पत्र एवं विकास अनुज्ञा आवेदनों का निराकरण परम्परागत पद्धति (Manually) किया जाता है।

प्रथम चरण में यह व्यवस्था मध्यप्रदेश के चार महानगर यथा भोपाल, इन्दौर, जबलपुर एवं ग्वालियर में लागू की जा रही है। हालांकि इन्हीं चार शहरों में भूमि उपयोग प्रमाण पत्र जारी करने के सम्बंध में सम्पूर्ण व्यवस्था दिनांक 01 अप्रैल 2014 से कम्प्यूटराइज्ड कर दी गई थी किन्तु आवेदकों को नगर तथा ग्राम निवेश के जिला कार्यालयों में आने की आवश्यकता पड़ती थी। दिनांक 01 अप्रैल 2014 से अभी तक कार्यालयीन प्रक्रियाओं के कम्प्यूटरीकरण में विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों में आत्मविश्वास विकसित हो जाने के उपरान्त अब यह व्यवस्था ऑनलाइन कर दी गई है ताकि आवेदक अपना आवेदन दुनिया के किसी भी भाग में बैठकर कर सकें।

01 नवम्बर 2014 के बाद चार महानगर यथा भोपाल, इन्दौर, जबलपुर एवं ग्वालियर के कोई भी आवेदक जिसे भूमि उपयोग प्रमाण पत्र एवं विकास अनुज्ञा प्राप्त करना है वह अब नगर तथा ग्राम निवेश विभाग की वेबसाइट **mptownplan.gov.in** पर E-services में जाकर emptownplan.gov.in के माध्यम से घर बैठे आवेदन करने एवं सायबर ट्रेजरी के माध्यम से भुगतान की सुविधा का लाभ ले सकता है। इस हेतु यूजर मेन्युअल भी उक्त वेबसाइट पर उपलब्ध है।